

4



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 877-पीबीआर/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक
12-12-2012 पारित द्वारा तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ प्रकरण क्रमांक
08/अ-70/2010-11

भुण्डिया पिता लक्ष्मण गणावा (भील)
निवासी ग्राम करडावद तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ, म0प्र0

-----आवेदक

विरुद्ध

1. मुन्ना पिता दगडिया डामर
2. हरचन्द्र पिता दगडिया डामर
3. नाथुलाल पिता पेमा डामर
4. नर्मदा पिता पेमा डामर
5. कन्ना पिता पेमा डामर
6. ईश्वर पिता पेमा डामर
7. कालू पिता पेमा डामर
8. संगीता पिता पेमा डामर
9. होमली बेवा पेमा डामर

समस्त निवासीगण करडावद तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ, म0प्र0

-----अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय इसरारे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 4 दिसम्बर 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ प्रकरण क्रमांक
08/अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12-12-2012 के विरुद्ध म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के
अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम करडावद तहसील पेटलावद स्थित भूमि सर्वे कं 2412 रकवा 2.390 हेक्टर भूमि के संबंध में तहसीलदार पेटलावद के समक्ष संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर आवेदक ने संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 12-12-12 आवेदक का धारा 32 का आवेदन निरस्त कर आवेदन पत्र के विस्तृत जबाव पेश करने हेतु नियत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को जबाव एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया एवं धारा 250 की कार्यवाही के विरुद्ध दिये गये धारा 32 के आवेदन को बिना सुनवाई किये ही निरस्त कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को जबाव एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये थे, परन्तु आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने एवं अनुपस्थित रहने के कारण ही प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया था। आवेदक द्वारा धारा 250 की कार्यवाही को लंबित रखने के उद्देश्य से धारा 32 का आवेदन दिया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अवैद्य कब्जा हटाने के संबंध में तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदक (अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक) को सूचना पत्र जारी किया। तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के साक्ष्य के पश्चात आवेदक के प्रतिपरीक्षण हेतु

प्रकरण नियत किया गया था। तहसीलदार के समक्ष आवेदक अभिभाषक उपस्थित होते रहे, परन्तु उनके द्वारा जबाव नहीं दिया गया। कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक के विरुद्ध दिनांक 19-12-11 को संहिता की धारा 35(3) के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार द्वारा आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर दिनांक 28-2-12 को आवेदक को पुनः 200/- की कास्ट पर अंतिम अवसर प्रतिपरीक्षण हेतु स्वीकृत किया गया था। पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी आवेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण न करने पर दिनांक 16-4-12 को प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया। उसी दिनांक को आवेदक ने धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अनावेदक के तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 12-12-12 को आवेदक की धारा 32 का आवेदन सकारण आदेश पारित कर निरस्त किया गया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त धारा 250 के आवेदन पर सुनवाई में अभी आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं तर्क प्रस्तुत करने का भी अवसर उपलब्ध है, जहां वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उक्त स्थिति में तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार पेटलावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2012 स्थिर रखा जाता है।

(डा० मधु खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर